
अध्याय-2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अध्याय - 2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय, विनियोग अधिनियम में दिये गये प्राधिकार के भीतर है और यदि व्यय को संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किया जाना अपेक्षित है तो इसे इसी प्रकार प्रभारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, संबंधित नियमावतियों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 बजट प्रबंधन की प्रक्रिया

बजट प्रबंधन से संबंधित बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड राज्य द्वारा यथा अंगीकृत) के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न हैं:

(i) राज्य के बजट अनुमान को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जाने है (नियम 52)।

(ii) विभिन्न विभागों के नियंत्री अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अनुमानों की जाँच वित्त विभाग द्वारा किया जाना है और प्रथम संस्करण बजट को सरकार के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु संकलित करना है (नियम 79)।

(iii) समस्त प्रत्याशित बचतों को, जब वे पूर्वज्ञात हों सरकार को अविलंब अभ्यर्पित कर देना चाहिए यदि वे किन्हीं अन्य इकाइयों के अंतर्गत अनुदान से हुए आधिक्य व्यय की पूर्ति हेतु आवश्यक न हों। कोई भी बचत भविष्य के संभावित आधिक्य हेतु आरक्षित नहीं रखे जाने चाहिए (नियम 112)।

(iv) व्यय के नये विशिष्ट मदों को पूरा करने या दत्तमत अनुदानों में संभावित आधिक्य को पूर्ण करने हेतु अनुपूरक अनुदान वित्त विभाग के परामर्श से प्राप्त किए जाने चाहिए (नियम 117)।

लेखापरीक्षा ने विभिन्न अनुदानों में 2016-17 के दौरान अत्यधिक बचत अवलोकित किया जो बजट प्रबंधन में कमियों को इंगित करता है जैसी अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

2.3 विनियोग लेखे के सारांश

2016-17 के दौरान 60 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति तालिका 2.1 में दी गयी है।

तालिका 2.1: वर्ष 2016-17 के मूल/अनुपूरक अनुदानों के सम्मुख वास्तविक व्यय की सारांशिक स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	कुल अनुदान/ विनियोग	*वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य(+)	अभ्यर्पित राशि	केवल मार्च 2017 में अभ्यर्पित राशि	मार्च में अभ्यर्पित बचत की प्रतिशतता (कॉ.6/कॉ.5)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दत्तमत	(I) राजस्व	51,805.65	40,913.04	(-)10,892.60	9,524.94	9,454.86	99.26
	(II) पूँजीगत	12,678.95	10,860.69	(-)1,818.26	2,084.81	2,084.81	100.00
	(III) ऋण व अग्रिम तथा अन्तर्राज्यीय समायोजन	1,681.81	1,335.06	(-)346.75	0.00	0.00	0.00
	कुल दत्तमत	66,166.41	53,108.79	(-)13,057.61	11,609.75	11,539.67	99.40
भारित	(IV) राजस्व	4,731.84	4,246.13	(-)485.72	629.13	629.13	100.00
	(V) पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(VI) लोक ऋण पुनर्भगतान	2,067.46	2,077.88	(+)10.42	34.57	34.57	100.00
कुल भारत	6,799.30	6,324.01	(-)475.30	663.70	663.70	100.00	
सकल योग	72,965.71	59,432.80	(-)13,532.91	12,273.45	12,203.37	99.43	

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2016-17

*व्यय के आंकड़े राजस्व दत्तमत व्यय (₹70.13 करोड़) को घटाकर लेखे में वसूलियों को समायोजित किये बिना सकल आंकड़े हैं।

टिप्पणी: संबद्ध शीर्षों में ₹955 करोड़, जो 2016-17 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित था जिनके विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्र 31 मार्च 2017 तक प्रस्तुत नहीं किया गया, तक के व्यय का आंकड़ा गलत बताया गया था।

2016-17 के दौरान, ₹13,532.91 करोड़ (कुल बजट का 18.55 प्रतिशत) का कुल बचत ₹13,543.66 करोड़ (राजस्व खंड के अधीन 55 दत्तमत अनुदानों एवं पाँच विनियोगों में ₹11,378.64 करोड़ और पूँजीगत खंड के अधीन 36 अनुदानों में ₹2,165.02 करोड़) के बचत, एक अनुदान और एक विनियोग में ₹10.75 करोड़ आधिक्य के समायोजन का परिणाम था।

जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष के दौरान ₹13,543.66 करोड़ के कुल बचत के विरुद्ध, ₹12,203.37 करोड़ (90.10 प्रतिशत) मार्च 2017 के महीने में अभ्यर्पित किया गया जिससे वित्त विभाग के पास उस वर्ष के चयनित योजनाओं पर विवेकपूर्ण ढंग से निधि का उपयोग करने के लिए कोई समय नहीं बचा।

आगे यह पाया गया कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने और अनुदानों में अत्यधिक बचत एवं आधिक्य व्यय से बचाव हेतु प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा भेजे गये मासिक सिविल लेखा विवरणी एवं मासिक विनियोग लेखाओं का उपयोग करने में वित्त विभाग विफल रहा।

अग्रतर, यह पाया गया कि झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2016-17 में वर्णित कुल 1,527 उप-शीर्षों में से 1,085 उप-शीर्षों में बचत एवं 60 उप-शीर्षों में आधिक्य का कारण विभागों द्वारा नहीं बताया गया।

अनुशंसा:

वित्त विभाग को विभागीय नियंत्री अधिकारी द्वारा व्यय की प्रवृत्तियों का अनुश्रवण करना चाहिए कि निधियाँ अनावश्यक रूप से रोककर रखी नहीं जाती हैं और अंतिम मिनिट में अभ्यर्पण तथा आवंटन के व्यपगत होने का आश्रय लिये बिना यथाशीघ्र अभ्यर्पित कर दी जाती हैं।

2.4 वित्तीय दायित्व तथा बजटीय प्रबंधन

2.4.1 आवंटित प्राथमिकताओं के सम्मुख विनियोग

₹13,543.66 करोड़ के कुल बचत के सम्मुख, 19 अनुदानों से संबंधित 23 मामलों में ₹9,979.81 करोड़ (74 प्रतिशत) की बचत हुई जैसा कि तालिका 2.2 में इंगित है। इन मामलों में, बचत ₹100 करोड़ को पार कर गया एवं अनुदान का 20 प्रतिशत या अधिक था।

तालिका 2.2: ₹100 करोड़ व उपर तथा अनुदान के 20 प्रतिशत या अधिक की बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का संख्या एवं नाम	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत	कुल अनुदान से बचत की प्रतिशतता
राजस्व - दत्तमत					
1	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	6,793.64	5,434.74	1,358.90	20.00
2	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	4,723.26	3,469.80	1,253.46	26.54
3	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,295.30	455.28	840.02	64.85
4	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	3,178.56	2,414.68	763.88	24.03
5	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2,664.64	1,957.38	707.26	26.54
6	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	3,449.57	2,757.82	691.75	20.05

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत	कुल अनुदान से बचत की प्रतिशतता
राजस्व - दत्तमत					
7	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	1,914.64	1,316.17	598.81	31.28
8	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1,449.78	923.73	526.05	36.28
9	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	1,714.57	1,202.17	512.40	29.89
10	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1,515.53	1,120.57	394.96	26.06
11	40-राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	525.55	364.44	161.11	30.66
12	23-उद्योग विभाग	445.65	292.64	153.01	34.33
13	49-जल संसाधन विभाग	398.65	265.88	132.77	33.30
14	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	624.34	496.04	128.30	20.55
15	26-श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	281.43	170.66	110.77	39.36
16	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	321.84	221.40	100.44	31.21
पूँजी - दत्तमत					
17	49-जल संसाधन विभाग	1,510.87	1,121.11	389.76	25.80
18	10-उर्जा विभाग	1,543.25	1,228.76	314.49	20.38
19	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	613.46	389.80	223.66	36.46
20	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	733.07	511.55	221.52	30.22
21	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	265.10	116.96	148.14	55.88
22	3-भवन निर्माण विभाग	573.62	441.63	131.99	23.01
23	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	551.76	435.40	116.36	21.09
कुल दत्तमत		37,088.08	27,108.61	9,979.81	73.69

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

अनुदान सं. 42 एवं 59 के विस्तृत जाँच ने निम्नलिखित उद्घाटित किया:

क) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत संपूर्ण आवंटन (₹166.32 करोड़) अभ्यर्पित किया गया।

ख) मनरेगा के अंतर्गत ₹253.60 करोड़ की बचत राशि अभ्यर्पित की गयी।

ग) सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹559.99 करोड़ की बचत राशि अभ्यर्पित की गयी।

46 मामलों में (36 अनुदानों/विनियोगों) ₹10,809.02 करोड़ के समग्र बचतों के साथ प्रत्येक मामले में बचत ₹10 करोड़ को पार कर गया और अनुदान का 20 प्रतिशत या अधिक था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में वर्णित है। अग्रतर, 29 अनुदानों/विनियोगों के अधीन 156 उप-शीर्ष/योजनाओं में प्रत्येक मामले में ₹20 करोड़ से अधिक बचत हुआ जिसकी समग्र राशि ₹8,661.12 करोड़ (कुल बचत का 64 प्रतिशत) थी। विवरण **परिशिष्ट 2.2** में दिये गये हैं। अत्यधिक बचत राज्य में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं।

अनुशंसा:

राज्य सरकार को क्षेत्रीय इकाइयों से प्राप्त वास्तविक माँग के अनुसार बजट तैयार करना चाहिए तथा अनुमानों की महत्तम उपयोगिता सुनिश्चित करना चाहिए।

2.4.2 प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं करना

बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, जैसे ही व जब बचत प्रत्याशित हों तो व्यय करने वाले विभागों को अनुदानों/विनियोगों या उसके किसी भाग को वित्त विभाग को अभ्यर्पित करना है।

2016-17 के दौरान ₹13,543.66 करोड़ के कुल बचत में से, ₹1,629.52 करोड़ की राशि (11 अनुदान/विनियोजनों के अंतर्गत प्रत्येक में एक करोड़ व अधिक) अभ्यर्पित नहीं किये गये जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में वर्णित है। आगे, यह देखा गया कि वर्ष 2016-17 में, 16 अनुदानों में ₹363.15 करोड़ का अभ्यर्पण वास्तविक बचत से अधिक था जो इंगित करता है कि संबंधित विभागों द्वारा अभ्यर्पण पत्रों के प्रस्तुत करने के पश्चात भी व्यय किया गया। मार्च 2017 में अभ्यर्पित ₹2,516.60 करोड़ से संबंधित 61 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹10 करोड़ या उससे अधिक) की सूची **परिशिष्ट 2.4** में दिया गया है।

अनुशंसा:

समस्त प्रत्याशित बचत समय पर अभ्यर्पित किया जाना चाहिए ताकि निधियों का अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा सके।

2.4.3 सतत बचत

विगत पाँच वर्षों के दौरान 12 मामलों (11 विभागों) में कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या उससे अधिक सतत बचत हुई थी (**तालिका 2.3**)।

तालिका 2.3: 2012-17 के दौरान सतत बचत इंगित करती अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व - दत्तमत						
1	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	326.13(53)	171.13(15)	967.84(42)	947.27(34)	707.26(27)
2	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	264.25(37)	566.53(58)	552.00(58)	750.47(56)	526.05(36)
3	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	307.90 (28)	570.55(50)	439.49(34)	505.63(39)	394.96(26)
4	40-राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	77.17 (23)	125.67(32)	99.80(26)	112.41(26)	161.11(31)
5	23-उद्योग विभाग	82.94(29)	120.80(41)	148.57(40)	132.47(31)	153.01(34)
6	49-जल संसाधन विभाग	92.55(29)	85.14(26)	87.83(25)	105.11(29)	132.77(33)
7	26-श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	232.43 (25)	308.12(30)	349.95(28)	1,088.29(73)	110.77(39)
8	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	35.50(22)	35.53(22)	41.73(25)	37.66(20)	95.59(33)
9	35-योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	594.38 (88)	533.61(83)	99.14(27)	691.14(60)	95.77(26)
10	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	37.03(40)	18.45(25)	21.31(15)	24.90(24)	29.27(17)
11	17-वाणिज्य कर विभाग	27.17 (38)	8.18(13)	23.36(32)	18.45(27)	19.49(27)
पूँजीगत - दत्तमत						
12	49-जल संसाधन विभाग	1,232.85(74)	1,130.96(68)	1,196.28(68)	544.62(33)	389.76(26)

कोष्ठक के आंकड़े अनुदान के अंतर्गत कुल बजट से बचतों की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

इन वर्षों में सतत वृहत बचत अनुदानों के अंतर्गत असंगत आकलन को इंगित करता है। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ निष्पादित करनेवाले छः विभागों के कुछ मुख्य योजनाओं में बचतों के विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

अनुदान संख्या 1 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	48.07	35.73 (74)	63.51	18.42 (29)	70.01	41.67 (60)
2	राष्ट्रीय उद्यान मिशन कार्यक्रम	88.00	35.71 (41)	105.00	57.40 (55)	90.00	43.10 (48)

स्रोत: वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आंकड़े लेखाशीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचतों की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

अनुदान संख्या 18 - खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	मुख्यमंत्री दाल-भात योजना	19.48	17.88(92)	23.00	11.91(52)	25.00	11.65(47)
2	कंप्यूटरीकरण योजना	60.94	49.76(82)	60.94	54.82(90)	40.00	23.10(58)

स्रोत: वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आंकड़े लेखा शीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचतों की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

अनुदान संख्या 42 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	सामान्य हेतु स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्कीम	465.59	394.25(85)	400.00	227.80(57)	362.00	86.98(24)
2	इंदिरा आवास योजना	720.00	432.24(60)	757.00	110.81(15)	1,165.17	182.94(16)

स्रोत: वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के विस्तृत विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आंकड़े लेखा शीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचतों की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

अनुदान संख्या 58 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	बालिका छात्रावास निर्माण	67.71	64.22(95)	73.56	58.18(79)	47.30	23.82(50)
2	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	117.64	71.87(61)	198.59	80.53(41)	198.57	40.91(21)

स्रोत: वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के विस्तृत विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आंकड़े लेखा शीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचतों की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

अनुदान संख्या 59 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहायता अनुदान	1,708.57	384.32 (22)	1,997.02	961.21 (48)	1,699.50	635.68 (37)
2	राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	3,240.62	1,253.96 (39)	2,659.13	519.50 (20)	3,171.97	420.70 (13)
3	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न के मूल्य की राशि	44.00	25.38 (58)	40.70	12.78 (31)	45.00	19.82 (44)

स्रोत: वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के विस्तृत विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आंकड़े लेखा शीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचतों की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

अनुदान संख्या 60 - महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	समेकित बाल विकास योजना	495.00	233.81 (47)	589.36	299.97 (51)	400.00	148.95 (37)
2	किशोरी बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना	57.93	55.38 (96)	66.04	45.32 (69)	68.76	39.74 (58)
3	समेकित बाल सुरक्षा योजना	24.00	21.62 (90)	27.60	21.24 (77)	24.00	9.80 (41)

स्रोत: वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के विस्तृत विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आंकड़े लेखा शीर्ष के अंतर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

अनुशंसा:

समस्त प्रत्याशित बचत समय पर अभ्यर्पित किया जाना चाहिए ताकि निधियों का अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा सके।

2.4.4 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित एवं अत्यावश्यक प्रकृति के व्यय, जो विधानसभा द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक टालने योग्य न हों, के लिए दिये जाने हैं। आकस्मिकता निधि का संग्रह वर्ष 2016-17 के दौरान ₹500 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2016-17 के दौरान आकस्मिकता निधि से 52 अवसरों पर ₹382.07 करोड़ आहरित किये गये। इसमें से 22 अवसरों पर ₹348.52 करोड़ की कुल राशि की निकासी उन कारणों हेतु की गयी जिनका पूर्वानुमान बजट अनुमानों को तैयार करते समय ही लगाना चाहिए था, और इसलिये ये न तो अप्रत्याशित और न ही अत्यावश्यक प्रकृति के थे। विवरण तालिका 2.4 में दिये गये हैं।

तालिका 2.4: राज्य की आकस्मिकता निधि से व्यय

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	कार्य के विवरण	अग्रिम की राशि (₹ करोड़ में)
1	2013-00-105-02	मंत्रियों का विवेकाधीन अनुदान	5.67
2	2052-00-090-24	मंत्रिमंडल सचिवालय (समन्वयन एवं प्रोटोकॉल) नई मोटरगाड़ियों का क्रय	0.60
3	2052-00-090-25	मंत्रिमंडल सचिवालय (मुख्य सचिव, सचिवालय) विदेश यात्रा भत्ता	0.29
4	2070-00-115-02	नई मोटरगाड़ियों का क्रय	0.22
5	2070-00-800-11	झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह	10.00
6	2070-00-800-13	असंगत शीर्ष अंतर्गत कटौती की गयी राशि की वापसी/सुसंगत शीर्ष अंतर्गत अधिक कटौती की गयी राशि की वापसी	0.50
7	2205-00-105-05	जिला केन्द्रीय पुस्तकालय - सहायता अनुदान	0.57

8	2215-02-191-08	नगर निगमों को सहायता अनुदान	4.37
9	2215-02-193-05	जलापूर्ति तथा सफाई के लिए नगर पंचायतों/अ.क्षे.स को सहायता अनुदान	1.13
10	2215-01-102-03	हस्तचालित नलकूप, तालाब एवं कुएँ- उच्च दाब नलकूप	2.50
11	2225-02-796-74	सेमिनार एवं टेक्नोलॉजी	1.00
12	2230-01-102-02	कार्यशालाओं/कारखानों का निरीक्षण	0.25
13	2235-02-796-A2	वन स्टॉप सेन्टर	0.28
14	2245-01-102-04	शहरी क्षेत्रों में नलकूप एवं अन्य जलापूर्ति संरचनाओं की मरम्मत/उन्नयन/जीर्णोद्धार	28.19
15	2801-80-101-13	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (झा.बि.वि.नि.लि.)	200.00
16	3055-00-190-01	राज्य पथ परिवहन निगम, झारखण्ड को सहायता	33.18
17	3451-00-090-17	पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल)	1.49
18	3451-00-090-03	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	0.53
19	4059-01-796-39	कोर्ट परिसर में कोर्ट भवन/आवासीय भवन/पुलिस बैरक के निर्माण कार्य एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश 75:राज्यांश 25)	30.44
20	3456-00-796-51	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	25.00
21	3452-80-104-11	होटल प्रबंधन संस्थान, फूड क्राफ्ट संस्थान, झारखण्ड साहसिक पर्यटन संस्थान एवं पर्यटन विकास प्राधिकार आदि के लिए सहायता अनुदान	1.00
22	3452-01-796-02	प्रचार कार्य	1.31
कुल			348.52

स्रोत: सूचनाएँ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड के कार्यालय द्वारा संकलित।

तथापि 2016-17 के दौरान निधि से कुल आहरण अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रतिपूर्ति कर दिया गया।

अनुशंसा:

राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिकता निधि से अत्यावश्यक एवं अप्रत्याशित प्रकृति के व्यय की पूर्ति के उद्देश्य को छोड़कर, कोई भी अग्रिम आहरित नहीं किये जाते हैं।

2.4.5 विगत वर्षों में प्रावधानों से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत, राज्य सरकार को अनुदान/विनियोग के आधिक्य को राज्य विधानसभा द्वारा विनियमित करवाना अनिवार्य है।

वर्ष 2001-02 से वर्ष 2015-16 तक प्रावधानों से ₹2,739.12 करोड़ के हुए अधिक व्यय को विनियमित किया जाना बाकी था (अक्टूबर 2017) जैसा कि परिशिष्ट 2.5 में वर्णित है। विनियमित किये जाने हेतु लंबित आधिक्य व्यय की वर्ष-वार राशि तालिका 2.5 में सारांशीकृत है।

तालिका 2.5: विगत वर्षों से संबंधित आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संख्या		प्रावधानों से आधिक्य की राशि
	अनुदान	विनियोग	
2001-02	25 एवं 32		0.04
2002-03	32		0.08
2003-04	46		0.29
2004-05	40		@
2006-07	38		\$
2010-11	32		0.10
2011-12	15 एवं 25	14	420.16
2012-13	7, 15 एवं 42	14	1,263.18
2013-14	15	13 एवं 14	694.05
2014-15	42	13	361.21
कुल			2,739.12

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

@ आधिक्य राशि मात्र ₹1,072 थी

\$ आधिक्य राशि मात्र ₹81,665 थी

इसके अतिरिक्त, 2016-17 से संबंधित निम्न आधिक्य व्यय जैसा कि तालिका 2.6 में दिया गया है को भी विनियमित किया जाना है।

तालिका 2.6 : 2016-17 के दौरान हुए प्रावधानों से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य
भारित विनियोग				
1	14-ऋणों का पुनर्भुगतान	2,067.46	2,077.88	10.42
2	32-विधान सभा	0.35	0.68	0.33
कुल		2,067.81	2,078.56	10.75

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2016-17

अनुशंसा:

आधिक्य व्यय के सभी विद्यमान मामलों को यथाशीघ्र विनियमित किया जाना चाहिए तथा भविष्य में अप्रत्याशित एवं अत्यावश्यक प्रकृति, जहाँ कि व्यय सिर्फ आकस्मिकता निधि से होना चाहिए, को छोड़कर इस प्रकार के व्यय को पूर्णतः बंद किया जाये।

2.4.6 परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

₹9,463.03 करोड़ के कुल अनुपूरक बजट प्रावधान में से वर्ष के दौरान 38 मामलों में, (प्रत्येक मामले में ₹एक करोड़ या अधिक) प्राप्त ₹3,315.06 करोड़ (35 प्रतिशत) का समग्र अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं किया गया जैसा कि परिशिष्ट 2.6 में वर्णित है। इन सभी मामलों

में, यह देखा गया कि कुछ उप-शीर्षों के अंतर्गत दिये गये मूल आवंटन व्यय नहीं हुए और इन उप-शीर्षों के अंतर्गत वृहत बचत हुई।

2.4.7 निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

2016-17 के दौरान छः उप-शीर्षों के अंतर्गत अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, जैसा कि **परिशिष्ट 2.7** में वर्णित है, अत्यधिक या अपर्याप्त सिद्ध हुआ। चार योजनाओं/उप-शीर्षों के अंतर्गत, पुनर्विनियोजन द्वारा ₹0.25 करोड़ की अतिरिक्त निधि प्रदान की गयी फलस्वरूप ₹0.52 करोड़ की बचत हुई, जबकि वर्ष के अंत में तीन योजनाओं/उप-शीर्षों में ₹6.31 करोड़ अन्य योजनाओं/उप-शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया जिससे उन योजनाओं/उप-शीर्षों में ₹6.48 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। अग्रतर, दो योजनाओं/उप-शीर्षों में ₹55.52 करोड़ पुनर्विनियोजित किया गया जो उन योजनाओं के अंतर्गत ₹1.35 करोड़ के अधिक व्यय को देखते हुए अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

2.4.8 निधियों का वृहद अभ्यर्पण

156 मामलों में ₹2,980.12 करोड़ राशि की निधि (वैसे मामले जहाँ प्रावधानों का शत प्रतिशत तथा प्रत्येक मामले में ₹दो करोड़ से अधिक का अभ्यर्पण हुआ) अभ्यर्पित की गयी, जिसका परिणाम योजनाओं/कार्यक्रमों के गैर-कार्यान्वयन में हुआ। विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दिये गये हैं।

अनुशंसा:

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक, अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान तथा अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण से बचा जाये।

2.5 व्यय का वेग

झारखण्ड बजट नियमावली का नियम 113 निर्धारित करता है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की तीव्रता से बचना चाहिए। व्यय का समरूप प्रवाह यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है। तथापि, यह देखा गया कि **परिशिष्ट 2.9** में सूचीबद्ध 29 लेखा-शीर्षों में ₹9,977.08 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹20 करोड़ से अधिक का व्यय) के कुल व्यय के विरुद्ध, वर्ष 2016-17 के अंतिम तिमाही में ₹6,966.05 करोड़ (69.82 प्रतिशत) का व्यय किया गया। इसमें से, ₹3,970.49 करोड़ (39.80 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2017 में किया गया।

वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की तीव्रता अस्वस्थ परिपाटी तथा लोक धन के दुरुपयोग के जोखिम को अपरिहार्य बनाता है।

अनुशंसा:

राज्य सरकार को कठोरता से बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिये।

2.6 विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन

हालाँकि नियंत्री अधिकारियों (नि.अ.) द्वारा विभागीय आंकड़ों के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बहियों से असमाशोधन की ओर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नियमित रूप से ध्यान आकर्षित करता है पर ये अनियमितताएँ 2016-17 के दौरान जारी रहीं। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹54,173.81 करोड़ की कुल प्राप्तियों के विरुद्ध ₹16,795.77 करोड़ (31.00 प्रतिशत) समाशोधित नहीं किया गया। इसी प्रकार, 2016-17 के दौरान ₹59,362.67 करोड़ के कुल व्यय में से ₹30,728.97 करोड़ (51.76 प्रतिशत) समाशोधित नहीं किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान प्रत्येक मामले में ₹10 करोड़ या उससे अधिक के असमाशोधित व्यय, जिसकी समग्र राशि ₹27,438.37 करोड़ थी, के विवरण परिशिष्ट 2.10 में दिये गये हैं।

अनुशंसा:

वित्त विभाग को ऐसी क्रियाविधि विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें नियंत्री अधिकारी को, मासिक आधार पर, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के पास उपलब्ध प्राप्ति एवं व्यय की विवरणी से नियमित रूप से समाशोधन करना आवश्यक हो।

2.7 अनुदान संख्या 41 - पथ निर्माण विभाग की बजटीय प्रक्रिया

2.7.1 परिचय

राज्य का सड़क आधारभूत संरचना तीन श्रेणियों में बँटा हुआ है यथा प्राथमिक प्रणाली (राष्ट्रीय राजमार्ग), द्वितीय प्रणाली (राज्य राजमार्ग तथा मुख्य जिला सड़कें) तथा तृतीय प्रणाली (ग्रामीण सड़क तथा अन्य जिला सड़कें)।

राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार (भा.स.) की संपत्ति हैं तथा भा.स. द्वारा दी गयी निधि से पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.), झारखण्ड सरकार द्वारा रख-रखाव किया जाता है।

राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें एवं अन्य सड़कें जिन्हें 'पी.डब्ल्यू.डी. सड़क' के रूप में जाना जाता है, प.नि.वि. झारखण्ड सरकार (झा.स.) की संपत्ति हैं। इन सड़कों का अनुरक्षण और उन्नयन प.नि.वि. द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या 41-पथ निर्माण विभाग के बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा ने उद्घाटित किया कि वर्ष 2016-17 में ₹4,612.31 करोड़ (योजना ₹4,310.55 करोड़ तथा गैर-योजना ₹301.76 करोड़) के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध विभाग ने ₹4,521.03 करोड़ (योजना ₹4,293.76 करोड़ तथा गैर-योजना ₹227.27 करोड़) (98.02 प्रतिशत) का व्यय किया जिससे ₹91.28 करोड़ (योजना ₹16.79 करोड़ तथा गैर-योजना ₹74.49 करोड़) (1.98 प्रतिशत) का कुल बचत हुआ। इसके अलावा, ₹91.28 करोड़ के कुल बचत में से 2016-17 के दौरान ₹76.17 करोड़

(योजना ₹27.29 करोड़ तथा गैर-योजना ₹48.88 करोड़) अभ्यर्पित किया गया तथा शेष ₹15.11 करोड़ व्यपगत होने दिया गया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.7: 2016-17 के दौरान बजट प्रावधानों तथा व्यय की विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	योजना	गैर-योजना			सकल योग (योजना + गैर-योजना)
		कार्य	स्थापना	कुल	
मूल अनुदान	4,000.00	164.76	121.54	286.30	4,286.30
अनुपूरक अनुदान	310.55	15.25	0.21	15.46	326.01
कुल अनुदान	4,310.55	180.01	121.75	301.76	4,612.31
व्यय	4,293.76	115.85	111.42	227.27	4,521.03
बचत	(-)16.79	(-)64.16	(-)10.33	(-)74.49	(-)91.28
अभ्यर्पण (पुनर्विनियोजन)	(-)27.29	(-)40.38	(-)8.50	(-)48.88	(-)76.17
व्यपगत	10.50	(-)23.78	(-)1.83	(-)25.61	(-)15.11


स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

2.7.2 संगठनात्मक ढाँचा

विभाग अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तकनीकी (अभियंत्रण) कार्यकलापों¹ तथा कार्यकारी (सहायता) कार्यकलापों² को कार्यान्वित करती है। प्रधान सचिव/सचिव विभाग के प्रमुख नियंत्री अधिकारी होते हैं, जिनकी सहायता एक अभियंता प्रमुख तथा विभिन्न कार्यकलापों के प्रभारी तीन मुख्य अभियंता द्वारा की जाती है। अंचल (सर्किल), प्रमंडल, उप-प्रमंडल तथा खंड (सेक्शन) विभाग की क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं जिनके प्रमुख क्रमशः अधीक्षण अभियंता (अ.अ.), कार्यपालक अभियंता (का.अ.), सहायक अभियंता (स.अ.) तथा कनीय अभियंता (क.अ.) होते हैं। विभाग का संगठनात्मक ढाँचा निम्नानुसार है:

¹ प्रस्तावित कार्यों की योजना, रूपांकन तथा लागत अनुमान का मूल्यांकन, संस्वीकृत कार्यों का निविदाकार्य, ठेकदारों को भुगतान; जारी कार्यों का अनुश्रवण तथा कार्यालय प्रशासन।

² पथ निर्माण विभाग के लिए समेकित योजना, कार्यों के लिए बजटीकरण, योजनाओं की स्वीकृति, वृहत स्तरीय अनुश्रवण, योजनाओं का आवधिक निरीक्षण, सभी कार्यों का वित्तीय प्रबंधन तथा प.नि.वि. कर्मियों का प्रशिक्षण।



लेखापरीक्षा परिणाम

2.7.3 बजट अनुमानों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

बिहार बजट नियमावली का नियम 62, झारखण्ड द्वारा यथा अंगीकृत, बजट तैयार करने के लिए बजट कैलेंडर का प्रावधान करता है। हमने लेखापरीक्षा में पाया कि वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने संबंधित मंत्री के अनुमोदन के उपरांत सामान्य बजट समर्पित करने तथा बजटीय लेन-देनों के व्यापक परिव्यय (सी.ओ.बी.टी.) को तैयार करने की निर्धारित तिथि बजट नियमावली में 1 अक्टूबर की निर्धारित तिथि के स्थान पर 06 नवम्बर (गैर-योजना हेतु) तथा 15 दिसम्बर 2015 (योजना हेतु) के बीच संशोधित (सितम्बर 2015) कर दिया।

अभिलेखों के निरीक्षण से उजागर हुआ कि विभाग ने वित्त विभाग को गैर-योजना बजट अनुमान (ब.अ.) 06 नवम्बर 2015 की नियत तिथि के स्थान पर 19 दिनों के विलंब से 24 नवम्बर 2015 को प्रस्तुत किया जबकि उसने योजना बजट हेतु प्रस्ताव तैयार कर योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित 15 दिसम्बर 2015 की नियत तिथि के स्थान पर 50 दिनों के विलंब से (04 फरवरी 2016) को प्रस्तुत किया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विलंब को संयुक्त सचिव पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड द्वारा स्वीकार किया गया।

2.7.4 परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

बिहार बजट नियमावली (यथा अंगीकृत) के नियम 57, 131 एवं 132 के अनुसार, अनुमान परिशुद्ध होने चाहिए।

हमने पाया कि वर्ष 2016-17 के दौरान प.नि.वि. के गैर-योजना हेतु मूल तथा अनुपूरक प्रावधान (अगस्त 2017) क्रमशः ₹286.30 करोड़ तथा ₹15.46 करोड़ थे। विभाग ने 2016-17 के दौरान ₹227.27 करोड़ का उपयोग किया, जो मूल प्रावधान

से कम था। विभाग ने तेरह में से पाँच उप-शीर्षों में (परिशिष्ट 2.11), जिसमें मूल प्रावधान समाप्त नहीं हुआ था, ₹15.46 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान का माँग किया। इससे बचा जा सकता था यदि अनुमान क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकताओं पर आधारित अपेक्षित सावधानी के साथ तैयार किया जाता।

संयुक्त सचिव, प.नि.वि. ने कहा (नवम्बर 2017) कि केन्द्र द्वारा विमुक्त राशि के समरूप निधि के रूप में ₹15.25 करोड़ की माँग की गयी तथा स्थापना उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹0.21 करोड़ की माँग की गयी जिसमें मूल बजट प्रावधान 'शून्य' था।

जवाब संतोषजनक नहीं था क्योंकि उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹0.21 करोड़ की अनुपूरक माँग की गयी जिसमें मूल बजट में प्रावधान पहले से ही उपलब्ध कराया गया था।

2.7.5 बजटीय प्रावधान से अधिक व्यय

बजट नियमावली के नियम 138 के अनुसार, आधिक्य व्यय से दृढ़तापूर्वक बचना चाहिए।

हमने अवलोकित किया कि शीर्ष 5054-03-337-08 के अंतर्गत ₹84.90 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध विभाग द्वारा ₹84.98 करोड़ का व्यय किया गया। इस तरह मुख्य शीर्ष 5054-योजना के अंतर्गत ₹0.08 करोड़ के अधिक व्यय ने व्यय पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को इंगित किया। अग्रतर, योजना शीर्ष 5054-03-799-01 के अंतर्गत विभाग द्वारा बिना बजट प्रावधान के ₹28.85 करोड़ का व्यय किया गया तथा योजना शीर्ष के अंतर्गत अभ्यर्पित प्रावधान (₹27.29 करोड़) कुल बचत (₹16.79 करोड़) से ₹10.50 करोड़ अधिक रहा।

संयुक्त सचिव, प.नि.वि. ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2017) कि व्ययन प्राधिकारियों को बजट प्रावधान के अंदर ही निधि विमुक्त किये जाएंगे।

जवाब संतोषजनक नहीं था क्योंकि विस्तृत विनियोग लेखे 2016-17 के अनुसार योजना शीर्ष 5054-03-799-01 के अंतर्गत विभाग द्वारा बजट प्रावधान के बिना ₹28.85 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था।

2.7.6 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण

बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार सभी प्रत्याशित बचतें, चूँकि वे पूर्वज्ञात हैं, वर्ष की समाप्ति तक की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल अभ्यर्पित की जानी चाहिए। कोई भी बचत भविष्य के संभावित आधिक्य हेतु आरक्षित नहीं रखे जाने चाहिये। अग्रतर, नियम 135 के अनुसार जब किसी अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वतः स्पष्ट तो नियंत्री अधिकारी को उस राशि का सावधानीपूर्वक अनुमान लगाना चाहिये जो वह अभ्यर्पित कर सकता है।

हमने अवलोकित किया कि ₹4,612.31 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹76.17 करोड़ (योजना ₹27.29 करोड़ तथा गैर-योजना ₹48.88 करोड़) विभाग द्वारा

31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया। सात³ नमूना-जाँच किये गये प्रमंडलों में से पाँच में ₹13.70 करोड़ की राशि 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित की गयी। विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 2.8: वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रमंडलों के नाम	31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित राशि		
		गैर योजना (कार्य)	योजना	कुल
1	का. अ., पथ निर्माण विभाग, डाल्टनगंज	0.48	3.23	3.71
2	का. अ., पथ निर्माण विभाग, दुमका	0.80	0.00	0.80
3	का. अ., पथ निर्माण विभाग, गुमला	0.03	0.34	0.37
4	का. अ., पथ निर्माण विभाग, हजारीबाग	0.00	0.74	0.74
5	का. अ., पथ निर्माण विभाग, जमशेदपुर	8.08	0.00	8.08
कुल				13.70

इस प्रकार, ₹76.17 करोड़ की राशि 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित की गयी जिसने सरकार द्वारा अन्य योजनाओं पर इस निधि के उपयोग हेतु कोई संभावना नहीं छोड़ा।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए संयुक्त सचिव, प.नि.वि. ने कहा (नवम्बर 2017) कि क्षेत्रीय कार्यालयों को शेष राशि समय पर जमा करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.7.7 निधियों के उपयोग नहीं किये जाने के कारण शत प्रतिशत अभ्यर्पण

वर्ष 2016-17 के विनियोग लेखे के जाँच से उजागर हुआ कि शीर्ष 5054-03-052-06 के अंतर्गत ₹1.40 करोड़ (100 प्रतिशत) अप्रयुक्त पड़ा रहा जिसे सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया, जबकि, सात नमूना-जाँच प्रमंडलों में से तीन द्वारा ₹9.69 करोड़ (100 प्रतिशत) अभ्यर्पित किये गये। विवरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 2.9: निधियों के उपयोग नहीं किये जाने के कारण शत प्रतिशत अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रमंडलों के नाम	शीर्ष	योजनाओं की संख्या जिनमें राशि अभ्यर्पित की गयी	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण
1	राँची	3054	07	1.02	शून्य	1.02
		5054	02	1.50	शून्य	1.50
2	जमशेदपुर	3054	10	6.37	शून्य	6.37
3	दुमका	3054	03	0.80	शून्य	0.80
कुल			22	9.69	शून्य	9.69

संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2017) कि क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

³ राँची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, गुमला, हजारीबाग, दुमका और देवघर।

2.7.8 व्यय का वेग

प्रावधानों के अनुसार (बजट नियमावली का नियम 113) व्यय का वेग विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में सामान्यतः वित्तीय नियमितता के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। अतः, व्यय के वेग से विशेष रूप से अंतिम माह में बचा जाना चाहिए। हमने अवलोकित किया कि प.नि.वि. के 12 उप-शीर्षों (योजना) में से तीन में मार्च के महीने में 99 प्रतिशत व अधिक व्यय किया गया। अग्रतर, सात नमूना-जाँच किये गये प्रमंडलों में यह पाया गया कि मार्च के महीने में, मुख्य शीर्ष 3054 (गैर-योजना कार्य) के अंतर्गत व्यय 26 से 71 प्रतिशत के बीच था। विवरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 2.10: व्यय का वेग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग/प्रमंडलों	शीर्ष	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय का प्रतिशतता
	विभाग	5054-03-337-02 (योजना)	73.74	72.71	99
		5054-03-796-02 (योजना)	20.16	20.16	100
		5054-03-796-06 (योजना)	1.15	1.15	100
		कुल	95.05	94.02	
1	का. अ., पथ निर्माण विभाग, डाल्टनगंज	3054- गैर-योजना (कार्य)	3.16	0.81	26
2	का. अ., पथ निर्माण विभाग, देवघर	3054- गैर-योजना (कार्य)	27.65	12.99	47
3	का. अ., पथ निर्माण विभाग, दुमका	3054- गैर-योजना (कार्य)	4.31	2.31	54
4	का. अ., पथ निर्माण विभाग, गुमला	3054- गैर-योजना (कार्य)	1.14	0.53	46
5	का. अ., पथ निर्माण विभाग, हजारीबाग	3054- गैर-योजना (कार्य)	2.64	1.26	48
6	का. अ., पथ निर्माण विभाग, जमशेदपुर	3054- गैर-योजना (कार्य)	1.82	1.18	65
7	का. अ., पथ निर्माण विभाग, राँची	3054- गैर-योजना (कार्य))	13.24	9.35	70.52
	कुल		53.96	28.43	
	कुल योग		149.01	122.45	

संयुक्त सचिव, प.नि.वि. ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2017) कि क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.7.9 विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन

बजट नियमावली के नियम 134 के अनुसार अपेक्षित है कि नियंत्री अधिकारी को व्यय तथा प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण की संभावनाओं से बचने के लिए मासिक आधार पर प्रधान महालेखाकार की बहियों के साथ विभागीय लेखाओं को समाशोधित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

हमने अवलोकित किया कि बजट नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में वर्ष 2016-17 के दौरान ₹4,521.03 करोड़ के कुल व्यय में से ₹597.72 करोड़ महालेखाकार की बहियों से असमाशोधित रहा। विवरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 2.11: विभागीय व्यय आंकड़ों का असमाशोधन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	कुल व्यय	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	योजना	4,293.76	3,769.81	523.95
2	गैर-योजना (कार्य)	115.85	103.24	12.61
3	गैर-योजना (स्था.)	111.42	50.26	61.16
कुल		4,521.03	3,923.31	597.72

अग्रतर, सात प्रमंडलों के नमूना जाँच से उजागर हुआ कि 2016-17 के दौरान विभाग में ₹597.72 करोड़ के कुल विभागीय असमाशोधित राशि में से ₹71.08 करोड़ की राशि पाँच प्रमंडलों द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बहियों से समाशोधित नहीं कराया गया। विवरण **परिशिष्ट 2.12** में हैं।

संयुक्त सचिव, प.नि.वि. ने कहा (नवम्बर 2017) कि क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके व्यय को समाशोधित करने के निर्देश दिये गये हैं।

अनुशंसा:

पथ निर्माण विभाग को अपने बजट अनुमान को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।